फर्द अहकाम

नाम न्यायालय :– सहायक कलेक्टर आमेर मु0 जयपुर

रामू उर्फ रामदेव बनाम गणपत वगै0

केस संख्या : प्रा0प0 अ.नि. 10/2022

केस संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही		विशेष विवरण
	13.01.2022	पत्रावली प्रस्तुत। कार्यालय रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित एवं अंतरिम स्थगन आदेश जारी करने हेतु निवेदन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत तर्कों के प्रकाश में उभयपक्ष को आगामी तारीख पेशी तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जाता है कि वादग्रस्त वर्णित भूमि खाता सं. 25 हाल खसरा नम्बर 334 रकबा 1.2000 हैक्टेयर खसरा नं. 335 रकबा 0.7500 हैक्टेयर खसरा नं. 336 रकबा 0.0500 है0 खसरा नं. 337 रकबा 0.0100 है0 खसरा नं. 338 रकबा 0.6200 है0 खसरा नं. 341 रकबा 0.6000 है0 खसरा नं. 342 रकबा 1.0100 है0 खसरा नं. 343 रकबा 0.1200 है0 कुल किता 8 कुल रकबा 4.3600 है0 स्थित वाके राजस्व लालगढ पटवार हल्का जालसू तहसील आमेर जिला जयपुर में विशिष्ट भू–भाग का बेचान ना करे व मौके की यथास्थिति बनाए रखे। इस बाबत अप्रार्थीगण को सूचनापत्र/नोटिस जरिए पंजीकृत डाक से प्रेषित करें। पत्रावली बाद तलबी दिनांक 23.02.2022 को पेश हो। सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर	Reg.AD नोटिस 161-177 13/1/2022
	23.2.2022	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी रामू उर्फ रामदेव स्वयं उपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। मूलवाद विड्रोल के आधार पर खारिज किया जा चुका है। अतः मूलवाद विड्रोल होने व विड्रोल के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर	P/H दे०

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2022.09.19 15:02:47 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner